

फैक्ट सीट

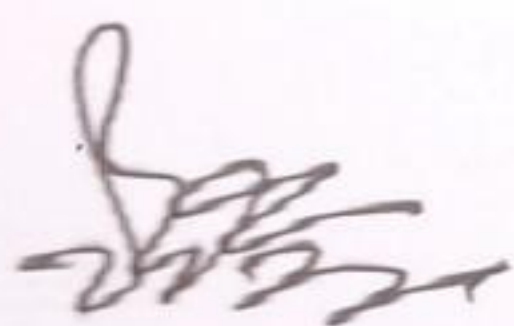
परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण।

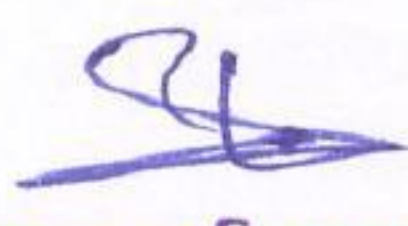
1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में) -
 आरक्षित वन भूमि 0.000 है०
 सिविल एवं सोयम वन भूमि - 0.000 है०
 वन पंचायत भूमि - 1.6650 है०
 योग 1.6650 है०
 नाप भूमि 1.3950 है०
 महायोग 3.0600 है०
2. प्रस्तावक विभाग का नाम :- नि०ख०, लो०नि०वि०, रामनगर (नैनीताल)
3. वन प्रभाग का नाम :- रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
4. प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है :- ☒ हाँ / ☐ नहीं
5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है :- ☒ हाँ / ☐ नहीं
6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग - 1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है:- ☒ हाँ / ☐ नहीं
7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है - ☒ हाँ / ☐ नहीं
8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है - ☒ हाँ / ☐ नहीं
9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची / प्रमाण पत्र संलग्न है - ☒ हाँ / ☐ नहीं
10. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है - बांज के वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं। ☒ हाँ / ☐ नहीं
11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है - ☒ हाँ / ☐ नहीं
12. समरेखन में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है - ☒ हाँ / ☐ नहीं
13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है - ☒ हाँ / ☐ नहीं
14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है - ☒ हाँ / ☐ नहीं
15. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है - ☒ हाँ / ☐ नहीं
16. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आस-पास रिक्त स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है - ☒ हाँ / ☐ नहीं
17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है - ☒ हाँ / ☐ नहीं
18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है। ☒ हाँ / ☐ नहीं

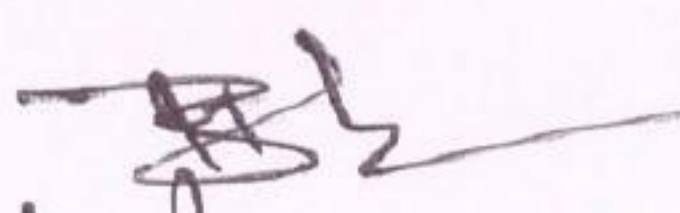
यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है:- आवश्यक नहीं है। ☒ हाँ / ☐ नहीं

20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है। ✓
हाँ / नहीं
21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है— (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) हाँ / नहीं ✓
22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार के भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है — ✓
हाँ / नहीं
23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है — ✓
हाँ / नहीं
24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है — हाँ / नहीं ✓
25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।
26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनाएं / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाया गया है — ✓
हाँ / नहीं
27. वैकल्पिक समरेखण को निरस्त करने का कारण, (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) ✓
28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है — हाँ / नहीं ✓
- (5 है० से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)
29. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है — ✓
हाँ / नहीं
30. मलुवें के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है — ✓
हाँ / नहीं
- अथवा
- मलुवें के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है — ✓
हाँ / नहीं
31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है— ✓
हाँ / नहीं
32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल रूप में संलग्न है: ✓
- यदि छाया प्रतियां संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है — हाँ / नहीं
33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है— ✓
हाँ / नहीं ✓
34. वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है — ✓
हाँ / नहीं
35. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न है — ✓
हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फ़ैक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र / सूचनाएं संलग्न कर दी गई है।




सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
रामनगर


(इंजीनियर गटल)
अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
रामनगर

हस्ताक्षर
प्रस्तावक विभाग / प्रभागीय वनाधिकारी

